की बकाया है उन सब के बारे में मांगी गई सूचना इकट्ठी करने में पर्याप्त समय तथा श्रम-लगगा । जिन फिल्म कलाकारों की तरफ कर निर्धारण वर्ष 1975–76 अथवा 1976–77 अथवा दोनों ही वर्षों के सम्बन्ध में सकल आयकर की बकाया 31-3-1978 को 10,000/–रु० अथवा उस से अधिक की थी, उन के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

Shares of S.C. and S.T. in posts filled in each category in the Ministry

8553. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) total number of posts filled in each category of posts in respect of Commerce, Civil Supplies and Co-operation Ministry, its attached and subordinate offices including the public sector undertakings for the entire period of Janata Government regime with specific shares of S.C. and S.T. in such employment and also the number of posts de-reserved in each category and reasons thereof; and

(b) total number of departmental promotions/upgradation of posts in each category of posts and how many posts have gone to S.C. and S.T.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द हुए लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम ब्याज पर दिया गया ऋण

8554. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभा में यह घोषणा की थी कि आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम (मीसा) के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए राजनीतिक बंदियों को, जिन के परिवारों ने कठिनाइयों का सामना किया है, राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक कम ब्याज दर पर उन के पुनर्वास हेतु ऋण देंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आशय के आदेश बैंकों को दे दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो 1977–78 मध्य प्रदेश के किन किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किन किन लोगों को ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे उपेक्षित क्षेत्रों में अपनी किसी भी चालू योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से सक्षम उद्यमों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उन आवेदकों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करे जो आपातकाल के दौरान केवल तत्कालीन प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता अथवा अपने राजनीतिक सम्बन्धों के कारण ही मीसा अथवा डी०आई०एस०आई०आर०के अधीन 6 माह अथवा इस से अधिक के लिये बन्दी बनाये गये थे या सजायाफ्ता रहे और जो अपनी जीविका के लिये बैंक की सहायता के बिना कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकते हैं । जब भी कोई ऋणकर्ता विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने का पात्र होता है तो बैंक इस योजना की शर्तों के अनुसार उसे सहायता प्रदान करते हैं ।

(ग) बैंकों से प्राप्त सूचना यह प्रकट करती है कि वे इस सलाह के अधीन सहायता प्रदान कर रहे हैं । यद्यपि उपेक्षित क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं के लिये बैंकों की चालू योजनाओं की शर्तों के अधीन सहायता दी जा रही है, लेकिन मीसा/डी० आई० एस० आई० आर०